न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 27/2017

सिणगारी देवी आयु 75 वर्ष स्त्री स्व. सुरजाराम जाति बलाई निवासी ग्राम रोसावां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... वादीनी

बनाम

बिरजुराम आयु 50 वर्ष दत्तक पुत्र स्व. सुरजाराम जाति बलाई निवासी ग्राम रोसावां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

सत्यमेव जयते

.... प्रतिवादी

Web Copy - Not Official

दावा बाबत उद्घोषणा अ.धारा 88,91 आर.टी.एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता

श्री रिड़मल सिंह – वादीनी
श्री कंचन खीचड़– प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक:– 12.03.2018

वादीनी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि तहसील फतेहपुर मे स्थित कृषि भूमि जिसके पुराना खसरा नंबर 73 रबा 7 बीघा 8 बिस्वा जिसका नया खसरा नंबर 90 रकबा 1.8700 हैक्टर व खसरा नंबर पुराना 73/257 रकबा 2 बीघा पुख्ता जिसका नया खसरा नंबर 93 रकबा 0.5100 हैक्टर कुल रकबा 2.3800 हैक्टर वाके ग्राम रोसावां वादीनी के स्व. पति व प्रतिवादी के स्व. दत्तक पिता सुरजा पुत्र पन्नाराम जाति बलाई निवासी रोसावां की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 21/06/1965 खरीद की हुई स्वअर्जित भूमि थी जिसका खाता उक्त स्वर्गीय सुरजाराम के नाम बना हुआ चला आ रहा है।

उक्त स्वर्गीय सुरजाराम व वादीनी के जायन्दा लड़का व लड़की नहीं होने के कारण हमने प्रतिवादी बिरजूराम को उसके बचपन में ही करीब 5 वर्ष की आयु में गोद की तमाम रस्म अदा करे गोद लिया था और उसके जायन्दा पिता पुरखाराम व माता बिड़दी देवी ने गोद दे दिया था तब से प्रतिवादी बिरजूराम हमारे पास जायन्दा पुत्र के रुप में रहता चला आ रहा है वादीनी के पति सुरजाराम व उक्त पुरखाराम दोनों का देहान्त हो चुका है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

वादीनी व प्रतिवादी बिरजूराम स्वर्गीय सुरजाराम के समय अब तक शामिल शरीक रहते चले आ रहे और प्रतिवादी बिरजूराम के राशनकार्ड, आधारकार्ड, पहचान पत्र निर्वाचन आयोग आदि लोक दस्तावेजों में प्रतिवादी बिरजूराम के पिता का नाम सुरजाराम दर्ज चला आ रहा है।

उपरोक्त तथ्योनुसार स्वर्गीय सुरजाराम की चल व अचल सम्पति के उत्तराधिकारी व हकदार वादीनी व प्रतिवादी बिरजूराम दोनों है इसलिये खसरा नंबर 90 व 93 कृषि भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी बिरजूराम का 1/2 हिस्सा चला आ रहा है और इसी प्रकार सम्मिलित रुप से कब्जा व काश्ता चला आ रहा है । जिसका खाता उक्त हिस्सा के अनुसार वादीनी व प्रतिवादी बिरजूराम अपने 1/2–1/2 हिस्से के रुप में खाता बनवाने के अधिकारी है और वर्तमान खाता से स्व. सुरजाराम के नाम चला आ रहा है इसलिये वादीनी को दिनांक 12.07.2017 से वादकारण हकनालिश प्राप्त है।

दावा माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार का है पूर्ण कोर्ट फीस पर अंदर मियाद प्रस्तुत है।

उद्घोषणा फरमाई जावे कि तहसील फतेहपुर के ग्राम रोसावां में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 93 रकबा 0.5100 हैक्टर कुल रकबा 2.3800 हैक्टर कृषि में से वादीनी सिणगारी 1/2 हिस्से का खाता व प्रतिवादी बिरजूराम 1/2 हिस्से का खाता अपने नाम बनवाने के अधिकारी है और वर्तमान खाता उक्त हिस्सों की अपेक्षा हटाया जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी की ओर से श्रीमती कंचन खीचड़ एड0 ने वकालतनामा तथा वादी व प्रतिवादी के मध्य राजीनामा पेश किया। प्रकरण में तहसीलदार, फतेहपुर से रिपोर्ट तलब की गयी। अतः वाद डिक्री किया जाता है कि ग्राम रोसावां में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 93 रकबा 0.5100 हैक्टर कुल रकबा 2.3800 हैक्टर कृषि में से वादीनी सिणगारी 1/2 हिस्से का खाता व प्रतिवादी बिरजूराम 1/2 हिस्से का खाता बनाने और वर्तमान खाता निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 12.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रेखा मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर(सीकर)

पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास..............रेनू मीणा (आर.ए.एस..)..

सिणगारी देवी आयु 75 वर्ष स्त्री स्व. सुरजाराम जाति बलाई निवासी ग्राम रोसावां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... वादीनी

<u>बनाम</u>

बिरजुराम आयु 50 वर्ष दत्तक पुत्र स्व. सुरजाराम जाति बलाई निवासी ग्राम रोसावां तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान

.... प्रतिवादी

<u>दावा बाबत उद्घोषणा अ.धारा 88,91 आर.टी.एक्ट</u>

मुकद्दमा नं.....27.............................सन्....2017..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..

व हाजिरी...श्री रिड़मल सिंह एडवोकेट...........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्रीमती कंचन खीचड़.............

....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम रोसावां में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 93 रकबा 0.5100 हैक्टर कुल रकबा 2. 3800 हैक्टर कृषि में से वादीनी सिणगारी 1/2 हिस्से का खाता व प्रतिवादी बिरजूराम 1/2 हिस्से का खाता बनाने और वर्तमान खाता निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निज........– ....मुबलिग..................–.....................बाबत.........................–.......................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय शूद बशरह................–..........................फीसदी सालाना आज की तारीख से

तरीख अदायगी तक...का अदा करें।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....12......माह ......मार्च..........सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत...
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

ओहदा...

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	3			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)